न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-99/2016/भीलवाड़ा (2016/00066)

1. हीरालाल पुत्र नाथूलाल, जाति गूजर निवासी भाकल बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. गोपीलाल पुत्र मांगीलाल कुडिया, जाति रेगर, निवासी ज्ञानगढ़, तह0 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, करेड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदैन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 29.6.2016 प्रकरण संख्या 621/2013.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री लोकपाल सिंह चुण्डावत, वकील रस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः- 11.1.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदैन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी एवं पदैन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत रेस्पो0 संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ज्ञानगढ़ में खाता संख्या 323 में आराजी खसरा संख्या 2556/2108 रकबा 2 बीघा भूमि उसके स्वामित्व, आधिपत्य व खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है । उक्त आराजी पर आवंटन समय से ही रामचंद्र पुत्र कस्तुर खटीक का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने उक्त आराजियात में से कुछ भूमि को तरमीम कर दी, किन्तु 8 बिस्वा भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन नहीं कर त्रुटि कारित की है, जिससे मौके पर प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य सीमा संबंधी विवाद बना रहता है इसलिये प्रार्थी उक्त 8 बिस्वा भूमि के कम अंकन को दुरूस्त कराने का अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.6.2016 को पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा ज्ञानगढ़ स्थित आराजी नंबर 2556/2108 रकबा मुताबिक जमाबंदी अंकन 2 बीघा होने तथा मौके पर भूमि उपलब्ध होने से पूर्वी दिशा की और शेष 8 बिस्वा भूमि के तरमीम मुताबिक जमाबंदी राजस्व नक्शे में किये जाने के आदेश प्रदान किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तथा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के प्रकरण भी दर्ज किये गये है । प्रार्थी/अपीलांट मकान बनाकर आबाद होने से प्रार्थी को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है । प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के गुणावगुण पर बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र जल्दबाजी में बिना अपीलांट को पक्षकार बनाये व बिना सुनवाई का अवसर दिये राजस्व लोक अदालत कैम्प ज्ञानगढ़ में नियत कर निर्णय पारित किया है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष राज्य पक्ष की और से न तो प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न मौके की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया है । अधी0न्याया0 ने मौके की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना ही मौके पर काफी भूमि

खाली होते हुए गलत नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि 8 बिस्वा भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 काबिज है बाबत् अधी0न्याया0 ने कोई फाइडिंग अपने निर्णय में नहीं दी तथा ना ही भूमि की पूर्ति धारा 136 के प्रार्थना पत्र के जरिये ही की जा सकती है। धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 के तहत केवल क्लेरिकल अथवा गणितीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का मौके पर कब्जा होने व मकान होने से अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है तथा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 के प्रकरण भी दर्ज हुए है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित 8 बिस्वा भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समा स्वंय के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी संख्या 2556/2108 बाबत् प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी का निवेदन किया था जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार कर पत्थरगढ़ी बाबत् आदेश दिये है जो विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसे परेशान करने की नियत से अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना न्यायोचित समझते है । अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.6.201016 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि खसरा नंबर 2556/2108 रकबा 2 बीघा के 8 बिस्वा भू-भाग पर अपीलांट का कब्जा होकर अपीलांट के मकान बने है तथा अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज हो, मात्र कब्जे के आधार पर अपीलांट को पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत आराजी संख्या 2256/2108 रकबा 2 बीघा, जो कि रेस्पो0 संख्या 1 गोपीलाल के नाम राजस्व जमाबंदी में अभिलिखित है, की तरमीम करते समय पटवारी हल्का ने 1-16 की ही तरमीम की थी । अधी0न्याया0 ने मौके पर शेष भूमि उपलब्ध होने से प्रश्नगत भूमि की तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट ने मात्र कब्जे के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट को पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को साबित करने में पूर्णतया

असफल रहा है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अपास्त किया पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी आधार पर अपास्त की जाती है ।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 99/2016 (2016/00066) बउनवानी हीरालाल व गोपीलाल आदि को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 अपास्त किये जाने से इसी स्तर पर अपील अपास्त की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी एवं पदैन सहायक कलक्टर, माण्डल, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 621/2013 बउनवान गोपीलाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2016 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 11.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर